36

संख्याः– 222 /VI(1)/2017–12(26)/2005 T.C

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग — देहरादून दिनांक 02 फरवरी, 2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत ए0डी0बी0 (ए0डी0बी0 लोन नं0–2833 आई0डी0आई0पी0टी0) के अन्तर्गत पर्यटन विकास की परियोजनाओं हेतु पर्यटन विभाग की वाह्य सहायतित परियोजनाओं के मद से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अवस्थापना, पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या–395/2–6–942/2016–17, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत एशियाई विकास बैंक सहायतित "पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम" परियोजना के चालू योजनाओं के अन्तर्गत जो कांट्रेक्ट अवार्ड हो चुके है उनके बिलों (कार्यालय व्यय, साईट पर कार्य कर रहे स्टाफ व मजदूरों का वेतन इत्यादि) के भुगतान, तीन डी0एस0सी0 एवं एक पी0एम0सी0 के बिल (कार्यालय व्यय, स्टाफ/एक्सपर्ट का वेतन इत्यादि), पी0एम0यू0/पी0आई0यू0 के कार्यालय व्यय व कार्यालय स्टाफ का वेतन तथा परियोजना सम्बन्धी विभिन्न कार्यो/मदों के व्यय हेतु पर्यटन विभाग की बाह्य सहायतित परियोजनाऐं मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 10000.00 लाख में से धनराशि ₹ 7333.00 लाख **(रूपये तिहतर करोड़ तैंतीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(I) धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही पर्यटन विकास निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत ए0डी0बी0 द्वारा अनुमन्य कार्यो/गतिविधियों के संचालन से सम्बन्धित भारत सरकार तथा ए0डी0बी0 के दिशा–निर्देश के अनुरूप ही व्यय किया जायेगा और धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

(II) **अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर ए0डी0बी0/भारत सरकार से प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त होने पर उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराया जायेगा।**

(III) एतद द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देती है जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

...2

(IV) परियोजना सम्बन्धी विभिन्न कार्यों/मदों में व्यय करने की प्रकिया में यथास्थिति वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं ए0डी0बी0 के अधिप्राप्ति सम्बन्धी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(V) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(VI) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2017 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत –104–संवर्धन तथा प्रचार–97–वाह्य सहायतित परियोजना–01–पर्यटन विभाग की वाह्य सहायतित योजनाएं–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S17022-60006 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः– 222 /VI(1)/2017–12(26)/2005 T.C, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– कार्यक्रम निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी0एम0यू0), पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।